

नौवहन मंत्रालय

मांग संख्या 87

नौवहन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1364.82	370.10	1734.92	1668.84	440.66	2109.50	1696.04	248.67	1944.71	1839.47	421.66	2261.13
<i>वसूलियां</i>	-1.17	-40.03	-41.20	...	-56.50	-56.50	...	-56.50	-56.50	...	-60.00	-60.00
<i>प्राप्तियां</i>	-364.04	...	-364.04	-280.00	...	-280.00	-320.00	...	-320.00	-320.00	...	-320.00
निवल	999.61	330.07	1329.68	1388.84	384.16	1773.00	1376.04	192.17	1568.21	1519.47	361.66	1881.13
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	72.13	...	72.13	75.03	...	75.03	70.00	...	70.00	75.00	...	75.00
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
पत्तनों का विकास												
2. महापत्तनों का विकास	71.45	...	71.45	53.01	...	53.01	54.30	...	54.30	168.57	...	168.57
3. लघु पत्तनों का विकास												
3.01 लघु पत्तन	58.76	80.25	139.01	64.23	96.65	160.88	56.66	47.05	103.71	65.00	75.00	140.00
3.02 वसूली	-2.50	-2.50	...	-2.50	-2.50
<i>निवल</i>	<i>58.76</i>	<i>80.25</i>	<i>139.01</i>	<i>64.23</i>	<i>94.15</i>	<i>158.38</i>	<i>56.66</i>	<i>44.55</i>	<i>101.21</i>	<i>65.00</i>	<i>75.00</i>	<i>140.00</i>
4. तेल प्रदूषण और अनुसंधान एवं विकास	4.37	...	4.37	22.00	...	22.00	16.00	...	16.00	14.00	...	14.00
जोड़-पत्तनों का विकास	134.58	80.25	214.83	139.24	94.15	233.39	126.96	44.55	171.51	247.57	75.00	322.57
सागरमाला												
5. सागरमाला												
5.01 सागरमाला स्कीमें और परियोजनाएं	...	236.61	236.61	130.00	...	130.00	85.00	...	85.00	130.00	...	130.00
5.02 सागरमाला विकास कंपनी	90.00	...	90.00	...	250.00	250.00	...	125.00	125.00	...	250.00	250.00
5.03 सागरमाला के अंतर्गत अन्य स्कीमे	79.22	...	79.22	220.00	...	220.00	270.00	...	270.00	220.00	...	220.00
<i>जोड़- सागरमाला</i>	<i>169.22</i>	<i>236.61</i>	<i>405.83</i>	<i>350.00</i>	<i>250.00</i>	<i>600.00</i>	<i>355.00</i>	<i>125.00</i>	<i>480.00</i>	<i>350.00</i>	<i>250.00</i>	<i>600.00</i>
पोत और पोत निर्माण,												
6. पोत निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता	1.46	...	1.46	12.00	...	12.00	0.45	...	0.45	30.50	...	30.50
अंतर्देशीय जल परिवहन												
7. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान	358.52	...	358.52	303.00	...	303.00	450.00	...	450.00	500.00	...	500.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. बांग्लादेश को सहायता	8.70	...	8.70	48.00	...	48.00	27.03	...	27.03	8.00	...	8.00
जोड़-अंतर्देशीय जल परिवहन	367.22	...	367.22	351.00	...	351.00	477.03	...	477.03	508.00	...	508.00
9. वास्तविक वसूली	-1.17	...	-1.17
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	671.31	316.86	988.17	852.24	344.15	1196.39	959.44	169.55	1128.99	1136.07	325.00	1461.07
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
10. महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण	9.70	...	9.70	10.16	...	10.16	10.16	...	10.16	10.75	...	10.75
11. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय	65.00	...	65.00	125.00	...	125.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
12. हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	30.05	5.50	35.55	21.00	...	21.00	36.00	4.50	40.50	...	1.65	1.65
13. सेतु समुद्रम निगम लि. एवं अन्य	...	0.46	0.46	...	0.01	0.01
14. केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम	0.57	...	0.57
15. कोलकाता पत्तन न्यास	162.50	2.00	164.50	192.00	10.00	202.00	167.39	10.00	177.39	155.00	0.01	155.01
जोड़-स्वायत्त निकाय	267.82	7.96	275.78	348.16	10.01	358.17	243.55	14.50	258.05	195.75	1.66	197.41
अन्य												
16. नौवहन महानिदेशालय	83.69	5.40	89.09	113.41	30.00	143.41	103.05	8.12	111.17	112.65	35.00	147.65
17. दीप स्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय												
17.01 दीपस्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय	268.70	39.88	308.58	280.00	54.00	334.00	320.00	54.00	374.00	320.00	60.00	380.00
17.02 वसूली	...	-40.03	-40.03	...	-54.00	-54.00	...	-54.00	-54.00	...	-60.00	-60.00
17.03 प्राप्ति	-364.04	...	-364.04	-280.00	...	-280.00	-320.00	...	-320.00	-320.00	...	-320.00
	<i>निवल</i> -95.34	<i>-0.15</i>	<i>-95.49</i>
जोड़-अन्य	-11.65	5.25	-6.40	113.41	30.00	143.41	103.05	8.12	111.17	112.65	35.00	147.65
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	256.17	13.21	269.38	461.57	40.01	501.58	346.60	22.62	369.22	308.40	36.66	345.06
कुल जोड़	999.61	330.07	1329.68	1388.84	384.16	1773.00	1376.04	192.17	1568.21	1519.47	361.66	1881.13
ख. योजना परिव्यय												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	32.69	...	32.69	35.00	...	35.00	38.45	...	38.45	32.50	...	32.50
2. बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	380.66	...	380.66	521.40	...	521.40	498.64	...	498.64	593.32	...	593.32
3. नौवहन	148.68	...	148.68	238.41	...	238.41	133.05	...	133.05	142.65	...	142.65
4. अंतर्देशीय जल परिवहन	367.79	...	367.79	225.00	...	225.00	351.03	...	351.03	368.00	...	368.00
5. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	70.95	...	70.95	73.03	...	73.03	68.00	...	68.00	73.00	...	73.00
6. बंदरगाह और प्रकाश गृहों पर पूंजी परिव्यय	...	316.71	316.71	...	344.15	344.15	...	169.55	169.55	...	325.00	325.00
7. नौवहन पर पूंजी परिव्यय	...	5.40	5.40	...	30.00	30.00	...	8.12	8.12	...	35.00	35.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	2.46	2.46	...	10.01	10.01	...	10.00	10.00	...	0.01	0.01
9. अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	...	5.50	5.50	4.50	4.50	...	1.65	1.65
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1000.77	330.07	1330.84	1092.84	384.16	1477.00	1089.17	192.17	1281.34	1209.47	361.66	1571.13
अन्य												
10. पूर्वोत्तर क्षेत्र	126.00	...	126.00	126.00	...	126.00	140.00	...	140.00
11. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	-1.16	...	-1.16	170.00	...	170.00	160.87	...	160.87	170.00	...	170.00
जोड़-अन्य	-1.16	...	-1.16	296.00	...	296.00	286.87	...	286.87	310.00	...	310.00
कुल जोड़	999.61	330.07	1329.68	1388.84	384.16	1773.00	1376.04	192.17	1568.21	1519.47	361.66	1881.13

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
क्रेडिट सहकारी समितियों को उधार												
1. कोचीन पत्तन न्यास	...	17.76	17.76	10.00	27.28	37.28	...	27.22	27.22	...	5.90	5.90
2. पारादीप पत्तन न्यास	...	93.10	93.10	...	85.00	85.00	...	64.50	64.50	...	120.00	120.00
3. वोचिदम्बरनर पत्तन न्यास	...	95.89	95.89	15.00	283.75	298.75	...	162.50	162.50	...	341.62	341.62
4. जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास	...	417.19	417.19	...	1850.30	1850.30	...	1569.01	1569.01	...	2065.35	2065.35
5. न्यू मंगलोर पत्तन न्यास	...	96.49	96.49	...	95.00	95.00	...	75.40	75.40	...	87.40	87.40
6. चेन्नई पत्तन न्यास	...	92.14	92.14	10.00	107.00	117.00	...	97.00	97.00	...	73.51	73.51
7. मुंबई पत्तन न्यास	...	196.25	196.25	...	498.12	498.12	...	410.03	410.03	...	431.57	431.57
8. दीनदयाल पत्तन न्यास कांडला	...	106.67	106.67	...	393.90	393.90	...	347.10	347.10	...	458.07	458.07
9. मोरमुगाव पत्तन न्यास	...	35.77	35.77	10.00	24.54	34.54	...	155.87	155.87	...	241.19	241.19
10. विशाखापत्तनम पत्तन न्यास	...	346.74	346.74	...	134.73	134.73	...	225.54	225.54	...	108.00	108.00
11. कामराजार पत्तन न्यास	...	545.64	545.64	...	400.00	400.00	...	325.00	325.00	...	250.00	250.00
12. भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण	...	264.30	264.30	303.00	...	303.00	...	735.70	735.70
13. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	...	118.12	118.12	...	507.00	507.00	...	351.20	351.20	...	495.00	495.00
14. भारतीय पोत परिवहन निगम	...	295.89	295.89	500.00	500.00	...	50.00	50.00
15. भारतीय तलकषण निगम	...	26.09	26.09	...	325.59	325.59	...	25.00	25.00	...	19.62	19.62
16. कोलाकाता पत्तन न्यास	...	64.37	64.37	...	70.04	70.04	...	87.19	87.19	...	82.57	82.57
17. सागरमाला विकास कंपनी	236.61	...	236.61	250.00	...	250.00	125.00	...	125.00	250.00	...	250.00

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			(₹ करोड़)		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
जोड़-क्रेडिट सहकारी समितियों को उधार जोड़	236.61	2812.41	3049.02	598.00	4802.25	5400.25	125.00	5158.26	5283.26	250.00	4829.80	5079.80
	236.61	2812.41	3049.02	598.00	4802.25	5400.25	125.00	5158.26	5283.26	250.00	4829.80	5079.80

गठित किया गया था। आईडब्ल्यूआई मुख्य रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) के बुनियादी ढांचे के विकास और विनियमन का कार्य करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) विकास गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय के खर्च के लिए है।
2. **महापत्तनों का विकास:** यह प्रमुख बंदरगाहों के विकास के लिए है जिसमें वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन न्यास और मुरमुगांव पत्तन न्यास शामिल हैं।
- 3.01. **लघु पत्तन:** इसमें अंडमान, लक्षद्वीप, हार्बर वर्क्स, नौवहन मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय को सहायता शामिल है।
4. **तेल प्रदूषण और अनुसंधान एवं विकास:** यह प्रावधान 14 तेल संचालन प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों में और साथ ही अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के व्यय के लिए तेल प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरणों (पत्तन जल में टीयर -1 तेल फैल) की खरीद के लिए है।
5. **सागरमाला:** यह प्रावधान चरण 1 में तटीय आर्थिक क्षेत्रों के विकास, तटीय क्षेत्रों के विकास और अनूटे और नवीन परियोजनाओं के वित्तपोषण और सागरमला विकास कंपनी के लिए आवंटन के लिए सहायता के लिए है, जिसे वित्तपोषण सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। परियोजना विशेष प्रयोजन वाहन और शेष परियोजनाओं के तहत अवशिष्ट परियोजनाएं। सागरमला कार्यक्रम के तहत पहचाने गए परियोजनाओं से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक बुनियादी ढांचे के निवेश को जुटाए जाने की संभावना है, घरेलू जलमार्ग (अंतर्देशीय और तटीय) के शेरों को दोबारा मिश्रण में मिलाकर 35,000-40,000 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत लागत उत्पन्न होती है, जो 110 अरब यूनाइटेड स्टेट डॉलर से मर्चेंडैज्ड निर्यात को बढ़ावा देता है और अगले 10 वर्षों में 40 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों सहित 1 करोड़ नई नौकरियों का सृजन करने में सक्षम है।
6. **पोत निर्माण, अनुसंधान और विकास के लिए सहायता:** यह प्रावधान पोत निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास योजनाओं के लिए अनुदान देने के लिए है। इसमें रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों शिपयार्ड को छोड़कर सभी भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता का भुगतान भी शामिल है।
7. **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान:** भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) को अक्टूबर, 1986 में जहाजरानी और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और नियमन के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा
8. **बांग्लादेश को सहायता:** इसमें बांग्लादेश सरकार के साथ पारगमन और व्यापार समझौते से उत्पन्न होने वाले व्यय को पूरा करने का प्रावधान है।
10. **महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण:** ये प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण की स्थापना के लिए अनुदान हैं।
11. **भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय:** यह प्रावधान भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय संस्थान के चलने से संबंधित वेतन और भत्ते और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए अनुदान है।
12. **हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.:** हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड में शेष कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी को पूरा करने के लिए कंपनी को ऋण सहायता के लिए प्रावधान किया गया है।
15. **कोलकाता पत्तन न्यास:** यह कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा हल्दिया चैनल और हुगली नदी में रखरखाव और ड्रेजिंग के सॉल्यूडि भुगतान के लिए है।
16. **नौवहन महानिदेशालय** यह प्रावधान नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) के स्थापना खर्च के लिए है, जो व्यापारी नौवहन अधिनियम, 1958 के तहत एक सांविधिक प्राधिकरण है। यह व्यापारिक शिपिंग कानूनों से संबंधित सभी मामलों के लिए विनियामक कार्य देता है। निदेशालय नाविक के कल्याण की देखभाल भी कर रहा है। यह प्रावधान समुद्री आपातकालीन निधि के प्रशासन और सूचना प्रौद्योगिकी सहित डीजी शिपिंग के ऑनलाइन परीक्षा खर्च के लिए भी है।
- 17.01. **दीपस्तंभ एवं दीप पोत महानिदेशालय** दीपघर और दीपपोत निदेशालय सरकार का एक अधीनस्थ संगठन है जो नेविगेशनल एड्स प्रदान करती है, जैसे कि हल्के जहाजों, ध्वनि संकेत, बॉय, रेडियो बेकन आदि। यह दीपगृहों के निर्माण और रखरखाव भी करता है। यह योजना प्रावधान दीर्घाओं और अन्य नौवहन एड्स के निर्माण और विकास पर पूंजीगत व्यय के लिए है। यह भारतीय प्रकाशस्तंभ अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार एकत्रित प्रकाश बकाया से मिले है।